राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के क्रियान्वयन में चुनौतियां

डॉ0 अनिल कुमार पाण्डेय
एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग
बी0एस0एन0वी0पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ

शोध–सार

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण अवयव है। महानतम ज्ञान परंपरा से अनुप्राणित राष्ट्र अपनी अतीत की पूंजी से प्रेरणा लेते हुए अपने वर्तमान को बेहतर बनाने का प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से किया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत ने शिक्षा विशेषकर उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न आयोगों का गठन किया। स्वतंत्रता पश्चात 1948 में गठित राधाकृष्णन कमीशन ने उच्च शिक्षा की दिशा और दशा बदलने की लिए बहुमूल्य उपाय सुझाए। कोठारी कमीशन ने भी प्राथमिक से लेकर उच्च तक शिक्षा के सभी प्रारूपों पर गहन विचार विमर्श किया। 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बदलते भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब थी। एक लंबा समय व्यतीत हो जाने के बाद भी भारत की शिक्षा नीति का आधार 30 वर्ष पहले की बनी हुई शिक्षा नीति ही बनी रही। वर्ष 2020 भारत के इतिहास में अकादमिक दृष्टि से एक मील का पत्थर सिद्ध हो सकता है। नई शिक्षा नीति 2020 नए भारत के क्षितिज के निर्माण में सुखद सपना दिखाने वाली है । कागज पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बेहतरीन नीति है किंतु इसके क्रियान्वयन में अनेक बाधाएं हमें दिखाई पड़ती हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में उन तथ्यों पर विमर्श किया गया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में चुनौती हैं यह शोध पत्र शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पक्ष पर केंद्रित है।

मुख्य शब्द– *नीति, चुनौतियां, क्रियान्वयन।*

विगत दो सौ वर्षों से अंग्रेजी शासन द्वारा आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक रूप से शोषित एवं पिछड़े भारतीय लोगों को जड़ता से निकालकर आत्मसम्मान व वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास के साथ जीने के लिए शिक्षा को सर्वाधिक प्रबल और सशक्त मानवीय विकास का संसाधन स्वीकार करते हुए स्वातंत्र्योत्तर भारत के मनीषियों ने शिक्षा को सब तक सहज, सुलभ कराने का भारतीय संविधान में संकल्प लेते हुए धारा–45 की व्यवस्था कर सुनिश्चित किया कि सबको शीघ्रातिशीघ्र शिक्षा सुलभ हो जाए। संकल्पों के सापेक्ष क्रियान्वयन एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किए गये अनेकानेक प्रयास एवं उत्पन्न धरातलीय परिस्थितियों के मध्य समायोजन एवं लक्ष्य की सिद्धि के लिए विभिन्न गठित समितियों के प्रतिवेदनों एवं तद्नुसार किए गए शैक्षिक परिवर्तनों के बावजूद आज लगभग 70 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी शिक्षा के न्यूनतम मौलिक लक्ष्य **'सबको शिक्षित'** करने के लक्ष्य से अभी भी हम अत्यधिक पीछे बने हुए ही हैं; गुणवत्ता, वैज्ञानिकता एवं वैश्विक सन्दर्भों में संख्यानुरूप सहभागिता तो दिवास्वप्न ही बना हुआ है। विभिन्न समितियों, आयोगों के प्रतिवेदनों एवं उनके सापेक्ष क्रियान्यवयन हेतु 1968 में राष्ट्र की प्रथम शिक्षा नीति तथा उसकी समय सापेक्ष उभरी न्यूनताओं के अनुरूप परिवर्तन व परिमार्जन के बाद नई शिक्षा नीति–1986 को लागू करने के बाद भी द्रुतगति से परिवर्तित वैश्विक सन्दर्भों में समुचित सफलता न प्राप्त करने के कारण भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की घोषणा करते हुए एक वर्ष तक धरातलीय परीक्षण हेतु समाज के अधिकाधिक हित धारकों से इसके नीतिगत एवं व्यावहारिक पक्ष के आलोक में उनके मतों, विचारों, अनुभवों को संकलित करते हुए क्रियान्यवयन के लिए रूपरेखा निश्चित करते हुए प्रतिवेदन इस अपेक्षा के साथ प्रस्तुत कर दिया गया कि इसके माध्यम से हम

वैश्विक ज्ञान में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करते हुए ज्ञान के वैश्विक आपूर्तिकर्ता बन जाएं। प्रस्तुत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियात्मक पक्ष की कुछ धरातलीय चुनौतियां विगत एक वर्ष में प्रकट हुई हैं जिनके निराकरण के अभाव में उक्त शिक्षा नीति भी विगत दो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की भाँति ही अपने निर्धारित लक्ष्यों को आशानुरूप कदाचित सिद्ध नहीं कर पाएगी। इस स्थिति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्यवयन की चुनौतियों का अवलोकन एवं उत्पन्न बाधाओं के युक्तीयुक्त निराकरण की अपेक्षा क्रियान्यवयन से जुड़े सभी आयामों से सम्बद्ध लोगों से है, जिनका उल्लेख अग्रांकित है।

भारत को वैश्विक ज्ञान का संकेन्द्र (Hub) एवं आपूर्तिकर्ता बनाने के संकल्प को पूर्ण करने के लिए योग्य, सक्षम, प्रशिक्षित, परिस्थितियों के सापेक्ष अनुप्रयोग करने वाले शिक्षकों, तकनीशियनों, शैक्षिक संसाधनों, उपकरणों एवं अन्य भौतिक तकनीकी संसाधनों का देश में अत्यधिक अभाव तो है ही, साथ ही उनको तैयार करने एवं उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने की दिशा में प्रभावी कदम भी उठाना होगा। ध्यातव्य है कि भारत मात्र महानगरों का राष्ट्र नहीं है, अभी भी आधी से अधिक जनसंख्या उपनगरों, गांवो, भौगोलिक रूप से कठिन परिक्षेत्रों और संसाधनों से विपन्न परिक्षेत्रों में आर्थिक विपन्नता के साथ जीवन निर्वाह कर रही है। जिनके सन्दर्भ में प्रचुर संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना सम्पूर्ण ज्ञान शक्ति की तैयारी और उपभोग का संकल्प कदाचित सम्भव नहीं होगा। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक, मानवीय, सहिष्णु परम्परा से प्रेरित होते हुए शिक्षा को जीवन की समग्रता से तादात्मीकरण स्थापित करते हुए वर्तमान वैश्विक बहुआयामी सन्दर्भों में विकसित करते हुए संसार की आवश्यकता के अनुरूप देश की युवा शक्ति को सक्षम बनाना। जिससे द्रुतगति से वर्तमान परिवर्तनशील संसार में भारत अपनी सहभागिता प्रभावपूर्ण ढंग से निश्चित कर सके तथा मात्र आयातक राष्ट्र के सम्बोधन से निकलते हुए पुनः एक बार भारत अपने प्राचीन गौरव, सक्षम एवं श्रेष्ठ भारत के रूप में विश्व के सम्मुख स्थापित हो सके।

उपरोक्त स्थिति तक हमें पहुँचने के लिए शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी के अवसरों को सम्पूर्ण राष्ट्र में बिना किसी भेदभाव एवं असन्तुलन के प्रत्येक प्रक्षेत्र में उपलब्ध कराना होगा जिसके लिए केन्द्र एवं राज्य दोनों सरकारों को सन्तुलन स्थापित करते हुए सहयोगात्मक दृष्टिकोण राष्ट्रीय हित में बनाना होगा।

उच्च शिक्षा की कक्षाओं में विभिन्न स्तरों पर प्रवेश एवं निकासी का एक अपेक्षया अधिक वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक विकल्प अध्येताओं को उपलब्ध कराया गया है, परन्तु आवश्यकतानुरूप पाठ्यक्रमों में परिवर्तन, कक्षानुरूप अध्ययन–अध्यापन एवं सीखे हुए ज्ञान का वास्तविक सन्दर्भों में उपयोग के लिए किसी कार्ययोजना का विनिर्माण एवं निर्धारण अभी भी धरातलीय स्तर पर वैज्ञानिक मानकों के सापेक्ष नहीं हो पाया है; साथ ही इसके व्यावहारिक परिणति के लिए योग्य और कर्मठ लोगों का भी अभाव सर्वत्र दृष्टिगत हो रहा है, क्योंकि सक्षम लोग अपने सुविधा परिक्षेत्र से स्वयं को बाहर नहीं लाना चाहते हैं तथा सरकारी नीतियां भी इसके लिए प्रभावी अभिप्रेरक भूमिका निभाने में स्वयं को प्रजातांत्रिक दोषपूर्ण, लोकलुभावनी नीतियों के कारण अक्षम पा रहीं हैं। जिससे यह सम्भव है कि एक अच्छी योजना होते हुए भी धरातलीय आधार पर आकांक्षानुरूप प्रभावी परिवर्तन करने में योजना सक्षम न हो सके।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इन्जीनियरिंग,गणित, कम्प्यूटर सहित (STEM) के साथ कला एवं मानविकी की शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के सम्यक विकास,

उसकी अन्तर्निहित अभिक्षमता, जिसे मनोविज्ञान की भाषा से सामान्य एवं विशिष्ट क्षमताओं के विकास की अभिक्षमता के रूप में जाना जाता है (जो प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न–भिन्न मात्रा में जन्म्जात क्षमता के रूप में उपलब्ध रहती है); का प्रयोग करके नवीन तथ्यों के प्रकटीकरण, खोज, अनुसंधान, विनिर्माण एवं सृजन हेतु उचित शैक्षिक दिशा–निर्देश और सक्षमता के विकास में शैक्षणिक सहयोग प्रदान करना जो बहुआयामी विषयों के अध्ययन के विकल्प के रूप में इस नीति का सर्वाधिक प्रबल, व्यावहारिक, उपयोगितापूर्ण, वैज्ञानिक व्यवस्था है; जो कुशलता, ज्ञान एवं उसके अनुप्रयोग की अब तक उपलब्ध सर्वोत्तम योजना है। अनेकानेक सन्दर्भो में देखा गया कि व्यक्ति अपनी निहितार्थ योग्यताओं और अभिक्षमताओं का विषयगत अनुशासन की सीमितताओं के कारण उपयोगिता परक बनाने में अक्षम हो जाता है जिसके लिए बहुआयामी विषयक वर्तमान अध्ययन की नीति ने अवसर उपलब्ध कर दिया है, यथा – एक गायक के लिए गायन उपकरणों, ध्वनि तरंगो इत्यादि का अवबोध आवश्यक है जो भौतिक शास्त्र के अध्ययन द्वारा ही सहजता से सम्भव है, जिसका अब तक कोई समाधान पूर्ण विकल्प शिक्षा व्यवस्था में उपलब्ध नहीं था परन्तु अब ऐसे अवसर उपलब्ध हो गये। आवश्यक यह है कि उपयोगितापरक ज्ञान के प्रचार–प्रसार एवं उपयुक्तता का विद्यार्थियों को अवबोध कराने वाले शिक्षकों, तकनीशियनों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उन्हें शैक्षिक संस्थाओं में सहजतापूर्वक समयबद्ध योजनानुरूप स्वीकार्यता प्रदान करने की। यदि ऐसा करने में हम शीघ्रातिशीघ्र सक्षम नहीं हो पायेंगे तो समय सापेक्ष यह योजना विगत की अनेकानेक उपयुक्त योजनाओं की भांति ही प्रभावहीन हो जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के संकल्पित उद्देश्यों की सम्प्राप्ति में सक्षम शिक्षकों, प्रशिक्षकों, तकनीशियनों की उपलब्धता आधारभूत आवश्यक शर्त है इसके अभाव में योजना मात्र रेत की लकीर सिद्ध होगी। इसके लिए प्रत्येक संस्थान को अपने उक्त पदों को गुणवत्तापरक मानदण्डों के सापेक्ष योग्य लोगों का शीघ्रातिशीघ्र चयन एवं नियुक्ति कर भरना होगा और यह ध्यान रखना होगा कि कोई भी पद खाली न रह जाए क्योंकि शिक्षा उक्त सभी सहयोगी हाथों के सम्मिलित प्रयास द्वारा ही पूर्णता को प्राप्त करती है यदि एक भी कड़ी टूटी रहती है तो सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि प्रभावित होती है और शेष लोगों को अपने दायित्वों से भागने, छुपने का स्वतः ही अवसर उपलब्ध करा देती है। इसलिए यह ध्यान रखना होगा कि कहीं भी किसी प्रकार की न्यूनता अथवा क्रियान्वयन सम्बन्धी विसंगति न रह जाए, इसके लिए सरकार को जीडीपी के 6 प्रतिशत के व्यय संकल्प को मूर्तरूप भी देना होगा जैसा कि उत्तर–पूर्व के कई राज्य विशेषकर **'असम'** कर रहा हैं।

भारत एक बहुलतापरक, सांस्कृतिक, नैसर्गिक रूप से सुरक्षित व्यापक भौगोलिक राष्ट्र है जिसमें भौगोलिक भिन्नता के साथ–साथ, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परागत भिन्नताएं भी प्रत्येक सन्दर्भ में प्रभावी पक्ष होतीं हैं। यदि इन सभी भिन्नताओं को राज्य एवं केन्द्र समायोजित करते हुए सम्पूर्ण राष्ट्र में कक्षाओं के वर्तमान योजनानुरूप व्यवस्थागत वितरण (5+3+3+4) को अंगीकृत करेंगे तभी योजना साकार होगी अन्यथा कक्षानुरूप कोर्स के संचालन की मंशा राजनैतिक मतभेदों, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक न्यूनताओं के कारण क्रियान्वयन की गति को अत्यधिक मन्द कर सकती है, जिसके लिए सक्षम केन्द्रीय सरकार को पूर्णरूप से तैयार रहते हुए प्रभावी कदम उठाना होगा। कोठारी आयोग की संस्तुतियों के बाद भी जिस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा योजना को पूरे राष्ट्र में क्रियान्वयन में देरी हुई वही स्थिति एक बार पुनः दुहराई जा सकती है, जिससे हमें त्वरित प्रयास करते हुए बचना होगा। बंगाल के सन्दर्भ में यह स्थिति प्रत्यक्ष रूप से अभी भी दृष्टिगोचर हो रही है। वहां के राज्य सरकार की मंशा राष्ट्रीय हित के

स्थान पर इस सन्दर्भ में राजनैतिक ज्यादा लग रही है।

स्त्री शिक्षा, वंचितों की शिक्षा, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के सन्दर्भ में स्वातन्त्र्योत्तर भारत में प्रारम्भ से ही प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बावजूद इन वर्गों की योग्यताओं, अभिक्षमताओं का हम मानव संसाधन के रूप में समुचित अनुप्रयोग नहीं कर पा रहे हैं; कदाचित निर्दिष्ट योजनाओं की वैज्ञानिकता अथवा उन्हें लागू करने वालों की मंशा या हित धारकों के यथा–स्थितिवाद के आकर्षण ने इसे अप्रभावी कर दिया है। अतः प्रभावी पक्ष को अन्तर्निहित क्षमताओं, योग्यताओं से मेल खाती हुई वर्तमान वैश्विक आवश्यकता के अनुरूप योजनाएं निर्मित एवं क्रियान्वित किया जाना उचित होगा अन्यथा स्थिति पूर्व से भिन्न नहीं होगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संकल्पना, सम्पूर्ण राष्ट्र की भागीदारी, अधूरी रह जाएगी।

शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पाठ्यक्रम का पुनर्नियोजन वर्तमान वैश्विक मानदण्डों के सापेक्ष करना योजना की प्रारम्भिक प्राथमिकताओं में सम्मिलित करना होगा जिसके लिए राज्यों को आवश्यक स्वायत्तता देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर नियामक संस्था गठित करते हुए सक्षम और योग्य विद्वानों की क्रियान्वयन समिति बनाना होगा, जिनके सहयोग, निर्देश एवं संस्तुतियों के आधार पर पाठ्यक्रम को व्यावहारिक एवं उपयोगी बनाया जाए; साथ ही संस्थाओं को संरचनात्मक एवं रचनात्मक परिवर्तन हेतु स्वतन्त्रता भी प्रदान किया जाये जिससे क्रियान्वयन के स्तर पर कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर यथाशीघ्र उन्हे दूर कर लिया जा सके।

संस्थान के कर्मचारियों, शिक्षकों के रिक्त पदों को भरते हुए संस्थाओं की ग्रेडिंग कराया जाए जिससे विद्यार्थी सहित सभी हित धारको को शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं उसके स्तर की जानकारी मिल सके और संस्थानों को अपनी स्वयं की स्थिति का अवबोध हो सके जिससे वे स्वयं में उत्तरोत्तर सुधार के लिए अभिप्रेरित हो सकें। कर्मचारियों में अवबोध की भावना के विकास के लिए उन्हें पुरस्कार, प्रमोशन एवं वेतनवृद्धि से जोड़ा जाना एक सार्थक और वैज्ञानिक प्रभावी विधि हो सकता है जिसका प्रयोग करने के लिए संस्थाओं को प्रेरित किया जाए। कर्मचारी संगठनों को भी अनुचित मांगों के लिए हतोत्साहित करते हुए उनमें संगठन के स्थान पर राष्ट्रीय एवं सामाजिक हित के अवबोध को विकसित करना एक अन्य न्यायोचित विधा होगी।

प्रत्येक पाठ्यक्रम के अवधि एवं संरचना में आवश्यकता के सन्दर्भ में परिवर्तन के संकल्प की सिद्धि के लिए संरचनात्मक, गुणात्मक एवं अवधि परिवर्तन उपयोगिता, क्रियान्वयन समिति की सलाह पर ही किया जाए। यह भी देखा जाए कि संस्थानों की क्रियान्वयन समितियाँ स्वायत्तता के नाम पर राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाओं से भिन्न योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन न कर सकें क्योंकि प्रायः यह देखने में आता है कि भारत जैसे बहुलतावादी राष्ट्र में प्रत्येक परिक्षेत्र, समूह, जाति, पंथ एवं प्रजाति के अपने आदर्श होते हैं जो अवसर मिलते ही अपने विचारों के अनुरूप अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए शैक्षिक नीतियों और योजनाओं को अपने अनुरूप लागू करने लगते है; जो राष्ट्रीय योजनाओं की सिद्धि में साधक के स्थान पर बाधक हो जाती है।

माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण छात्रों का उच्च शिक्षण संस्थानों में 50 प्रतिशत तक प्रवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिससे मानव संसाधनों की कुशलता मे अधिकाधिक गुणात्मक परिवर्तन हो सके और भारत भी विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होने के लिए अपने कुशल मानवीय संसाधनो का उपयोग एवं प्रयोग कर सके।

शैक्षिक गतिविधियों के मूल्यांकन हेतु 360 डिग्री पहुँच की बात भी प्रस्तुत योजना में की गई है। अब तक मूल्यांकन में शिक्षक एक मात्र

अभिकरण होता था जिसे परिवर्तित करते हुए इसमें शिक्षक के साथ, शिक्षार्थी, अभिभावक, नीति–नियन्ता, समाज के सदस्य जैसे हित धारकों को सम्मिलित करते हुए द्विपक्षीय मूल्यांकन की प्रविधि विकसित करने की बात की गई है, जिसके द्वारा शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों का एक दूसरे के द्वारा मूल्यांकन करते हुए गुणात्मक शैक्षिक परिवर्तनों की अपेक्षा की गई है। ऐसा सम्भव होने के बाद शिक्षकों एवं विद्यार्थियों दोनो में शिक्षा के प्रति आग्रह तो सकारात्मक हो ही जाएगा; समाज एवं अभिभावक भी अपनी भूमिका का गुणात्मक परिवर्तन की दिशा में सहभागिता सुनिश्चित कर सकेंगे जिससे अन्ततः योजना सार्थक हो सकेगी। उपरोक्त प्रयासों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 अपने संकल्पों के सापेक्ष लक्ष्य सिद्धि में सफल हो सकेगी और सरकार के लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान कोष बनाने के साथ कुशलता एवं योग्यता का उपलब्धकर्ता राष्ट्र बनाने के साथ ही भारत निर्माण का प्रमुख लक्ष्य भी स्वतः ही सहजता से पूर्ण हो जाएगा।

सन्दर्भ

1. शैक्षिक आयोगों के प्रतिवेदन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020). मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
3. अग्रवाल, जे0 पी0 (1993). लैण्डमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मार्डन इण्डियन एजूकेशन, विकास पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली।
4. चौबे, एस0 सी0 (1988). हिस्ट्री एण्ड प्रॉब्लम्स ऑफ इण्डियन एजूकेशन (द्वितीय संस्करण), विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।
5. सैकिया, एस0 (1988). हिस्ट्री ऑफ एजूकेशन इन इण्डिया, मनी मनीह प्रकाशन–1998
6. सफाया, आर0 एन0 (1983). करेन्ट प्रॉब्लम इन इण्डियन एजूकेशन, 9वाँ संस्करण, धनपत राय एण्ड सन्स, दिल्ली।
7. हायर एजूकेशन इन इण्डिया, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
8. नई शिक्षा नीति (2020). पढ़ाई, परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड सब में होंगे बड़े बदलाव, आजतक,
9. नई शिक्षा नीति पर बी0जे0पी0 अध्यक्ष जे0पी0 नड्डा बोले – नई शिक्षा नीति नए भारत की जरूरतों को ध्यान में रखती है, पंजाब केसरी – 29 जुलाई 2020
10. आइए जाने आखिर देश की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जरूरत क्यों पड़ी, दैनिक जागरण, 30 जुलाई 2020
11. नई शिक्षा नीति – नवभारत टाइम्स, 31 जुलाई 2020
12. न्यू एजूकेशन पॉलिसी : अब कैमिस्ट्री के साथ म्यूजिक, फिजिक्स के साथ फैशन डिजाइनिंग पढ़ सकेंगे छात्र, आजतक, 30 जुलाई 2020
13. सिंह, सरोज (2020). नई शिक्षा नीति 2020 सिर्फ आर0एस0एस0 का एजेंडा या आम लोगों की बात भी,